

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 110/2018 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

देवाराम वगैरा बनाम शंकरदान

पीठासीन अधिकारी - श्री वीरमाराम, आर.ए.एस

प्रार्थीगण वकील - श्री जगदीश पोटलिया

निर्णय

दिनांक - 26.02.2020

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि सरहद मौजा भंवरिया के खेत खसरा सं. 166 रकबा 01.03 बीघा खसरा सं. 167 रकबा 41.12 बीघा एवं मौजा गंगासरिया के खसरा सं. 165 रकबा 07.05 बीघा पटवार क्षेत्र भंवरिया, तहसील सेड़वा में स्थित है। प्रार्थीगण के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पडोसी है। जिनके खेत प्रार्थीगण के खेत के पडोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काशत अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते हैं। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थीगण ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थीगण की दरखास्त दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। आवेदन में वर्णित खसरों की पैमाईश रिपोर्ट हेतु तहसीलदार को लिखा गया। तहसीलदार से पैमाईश रिपोर्ट प्राप्त, शामिल पत्रावली किया गया। वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण के वक्त काशत प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थीगण विवादित भूमि के खातेदार काशतकार राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार की जाकर विवादित भूमि सरहद मौजा भंवरिया के खेत खसरा सं. 166 रकबा 01.03 बीघा खसरा सं. 167 रकबा 41.12 बीघा एवं मौजा गंगासरिया के खसरा सं. 165 रकबा 07.05 बीघा पटवार क्षेत्र भंवरिया, तहसील सेड़वा की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को रूपये 500/- फीस पर कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर को निर्देश दिये जाते हैं कि वो दोनो पक्षो के रुबरू किसी मुस्तकील/स्थायी बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनो पक्षो के रुबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काशत में परिवर्तन किये बिना, मुस्तकील/स्थायी बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो। कमीशनर को कमीशनर फीस प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे।

कमीशनर को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थीगण के खसरों की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करवावे एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(वीरमाराम)

उपखण्ड अधिकारी, चौहटन

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाडमेर

प्रार्थीगण :-

1. देवाराम पुत्र पूनमाराम
 2. वगताराम
 3. वनाराम
 4. मूलाराम
 5. भूराराम पि. पुरखाराम
 6. सोनी बेवा
 7. धाई बेवा रामाराम
 8. हीरो बेवा पूनमाराम
 9. धनाराम पुत्र धुडाराम
 10. भारमल
 11. लालूराम
 12. उकाराम
 13. हरीश
 14. रमेश पि. लुम्बाराम
 15. दमी बेवा लुम्बाराम
 16. जालाराम
 17. मूलाराम
 18. दमाराम
 19. रतन पि. नारणाराम
 20. अण्छी पत्नि नारणाराम
 21. मंगलाराम पुत्र रामाराम, जाति कुम्हार
- निवासी अम्बावा, तहसील सेडवा

विप्रार्थीगण:-

1. शंकरदान पुत्र चालकदान, जाति चारण
 2. शंकरा पुत्र हेमराज
 3. मासिंगा पुत्र तगा
 4. रामा पुत्र लाला
 5. हरदास पुत्र चीमना
 6. जेता पुत्र आसू
 7. भला पुत्र महादेवा
- जाति रबारी, निवासी अम्बावा, तहसील सेडवा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111.128 राज.भू.राजस्व अधिनियम वास्ते करने नेखमबंदी बाबत।

राजस्व आवेदन सं. 110/2018

दिनांक : 26.02.2020

आदेश

तहसीलदार सेडवा को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील सेडवा, पटवार क्षेत्र भंवरिया के मौजा भंवरिया के खेत खसरा सं. 166 रकबा 01.03 बीघा खसरा सं. 167 रकबा 41.12 बीघा एवं मौजा गंगासरिया खसरा सं. 165 रकबा 07.05 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार सेडवा को कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति न हो तो उपरोक्त भूमि की मौके की स्थिति व कब्जा काश्त में परिवर्तन किये बिना पेमाईश कर नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे। नेखमबंदी के दौरान किसी बिंदु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



(Handwritten Signature)

(वीरमाराम)

उपखण्ड अधिकारी चौहटन

क्रमांक/भू.अ./2020/

142-45

दिनांक 26-02-2020

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार सेडवा
2. प्रार्थीगण देवाराम वगैरा
3. विप्रार्थीगण शंकरदान वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चोहटन/बीजराड़/सेडवा/धौरीमन्ना/बाखासर

(Handwritten Signature)

उपखण्ड अधिकारी

चौहटन
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

